संख्या: 592/VII-2/191–उद्योग/07

प्रेषक,

डा0 हेमलता ढौंडियाल
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ वित्त अधिकारी,
उत्तराखण्ड भुगतान एवं लेखा कार्यालय,
नई दिल्ली।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक21 फरवरी, 2008

विषय: वित्तीय वर्ष 2007–08 में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृत के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 615/पी.ए.ओ./200 दिनांक 11.01.2008 एवं अपर आयुक्त निवेश/विनिवेश, कार्यालय मुख्य निवेश आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली के पत्र संख्या 6/मु.नि.आ./नदि/2007 दिनांक 10.01.2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उद्योग निदेशालय के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष के 25–मुख्य निवेश आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली का अधिष्ठान (102 03 से स्थानान्तरित), 42–अन्य व्यय मद से संलग्न बी0एम0–15 के अन्तर्गत बचत को कॉलम–5 में उल्लिखित सुसंगत मद हेतु **रू0 50,000/–(रू0 पचास हजार)** की धनराशि अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचत से व्यावर्तन द्वारा धनराशि को व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त धनराशि आपके निर्वतन पर इस आशय से रखी जा रही है कि कृपया विभाग को उनकी मॉग के अनुरूप तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अवचनबद्ध मदों में धनराशि को व्यय करते समय मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जाय तथा इस संबंध मे समय–समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों का कढ़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3– व्यय मात्र उन्हीं मदों में किया जाय, जिन मदों में धनराशि स्वीकृत की जा रही है। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो। धनराशि व्यय के उपरान्त व्यय की गयी धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराया जाय।

4– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखाशीषर्क–2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00–आयोजनेत्तर, 102–लघु उद्योग, 25–मुख्य निवेश आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली का अधिष्ठान (102 03 से स्थानान्तरित)–00– के अन्तर्गत संलग्न बी0एम0–15 के कॉलम–5 में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाई के नामे डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 सं0 47/XXVII(2)/2008, दिनांक 13 फरवरी, 2008 के द्वारा उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीया,

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 592(1)/VII-2/191–उद्योग/07, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
3. निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर आयुक्त निवेश/विनिवेश, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
5. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2
8. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।

आय–व्ययक प्रपत्र–15

आयोजनेत्तर से आयोजनेत्तर मद में पुनर्विनियोग हेतु 2007–08

अनुदान संख्या–23

प्रशासनिक विभाग–औद्योगिक विकास अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

नियंत्रक अधिकारी–निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(धनराशि हजार रू0 में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि मे अनुमानित व्यय	अवशेष धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमे धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है तथा प्राविधान	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 1 में अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग 102–लघु उद्योग 25–मुख्य निवेश आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली का अधिष्ठान(102 03 से स्थानान्तरित) 42–अन्य व्यय————————100	00	50	50 (क)	2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग 102–लघु उद्योग 25–मुख्य निवेश आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली का अधिष्ठान(102 03 से स्थानान्तरित) 15–गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद—50 (ख)	150	50
योग– 100	00	50	50	50	150	50

(प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मनुअल के प्रस्तर 151–156 में उल्लिखित सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।)

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, निधर स्टेट बैंक, इन्द्रानगर, देहरादून।

संख्याः 592 / VII-2 / 191–उद्योग / 07

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वरिष्ट कोषाधिकारी।
2– वित्त अनुभाग–2
3– गार्ड फाईल।

(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव (वित्त)।

आज्ञा से,

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।